GS-12

आ वि प्रा

कार्यालय-प्रवर्तन अनुभाग

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांकः- 670/8ी0/आवि0प्रा0/15 दिनांकः- 30-09-15

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता (प्रवर्तन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री अनुज जैन,
पुत्र श्री पी0के0 जैन,
विनायक इन्फ्रासिटी प्रा0लि0,
42–सूर्यनगर, आगरा।

विषयः– शमन धनराशि जमा कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्रस्तुत शमन प्रार्थना–पत्र के क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा विनायक इन्फ्रा सिटी प्रा0लि0, 42–सूर्यनगर, ताजगंज–वार्ड, आगरा पर प्रस्तुत आवासीय शमन मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनाक 29.09.2015 को शमन की निम्न प्रतिबन्ध/शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है :–

1. आवेदक को भवन की छत पर सोलर वॉटर हीटिंग संयत्र की स्थापना करनी होगी।
2. आवेदक को रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू–जल रिचार्जिंग हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी होगी।
3. मानचित्र निर्गत होने से पूर्व आवेदक को स्ट्रक्चरल डिजायन को आई.आई.टी. रूड़की विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य निर्दिष्ठ तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से प्रति–हस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत करनी होगी एवं इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी है एवं पूर्णतः सुरक्षित है।
4. भूखण्ड का क्षेत्रफल–2000.00 वर्गमी0 से अधिक व पक्ष द्वारा भवन सामग्री अपने भूखण्ड के अन्दर एकत्रित करनी होगी, इस आशय का शपथ–पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त स्थिति में मलवा शुल्क देय नहीं होगा।
5. अग्नि–शमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. मानचित्र स्वीकृत के समय अंकित प्रतिबन्ध यथावत् रहेगें।
7. प्राधिकरण अथवा अन्य किसी विभाग की कोई देयता निकलती है, तो पक्ष को देय होगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के सात दिवस के अन्दर आगणित कुल शमन धनराशि **रू0 8,98,400.00 (आठ लाख, अट्ठान्वे हजार, चार सौ रुपये मात्र)** प्राधिकरण कोष में जमा कराने का कष्ट करें, ताकि शमन सम्बन्धी शेष कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जा सके।

भवदीय,

30/9/15

अधिशासी अभियन्ता (प्रवर्तन)